न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 83/2023

उनवान

गोपाल पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाल तहसील नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

1. छोटी पत्नी कालू,
2. गिरधारी,
3. बालू,
4. मादू,
5. लाला, पि0 श्रवण जाति गुर्जर नि0 ढाल, नसीराबाद,
6. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया, नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

–– प्रतिवादीगण :– 2 से 6 अनुपस्थित
1 स्वयं उपस्थित
7 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 2/8/23

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण ग्राम ढाल की आराजी के संयुक्त खातेदार/काश्तकार है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
188/184	किता 6	1.19

ग्राम ढाल के हाल खसरा नम्बर 164/0.31, 232/0.25, 239/0.14, 240/0.15, 688/0.22 व 689/0.12 किता 6 रकबा 1.19 राजस्व अभिलेख में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सह खातेदारी में दर्ज है। जिसका विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। तथा आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने व दखलदांजी करने पर [illegible] है अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषे[illegible] किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को [illegible] नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी [illegible] स्वीकारोक्ति का जवाब पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:31 IST
Reason: SelfAttested

—2

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन मे राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी अविभाजित है जिसका विभाजन राजस्व अभिलेख में नही हुआ है। वादी उक्त आराजी का विभाजन कराना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 खण्डन हेतु उपस्थित नही हुये है। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने भी प्रकरण में जवाब/खण्डन पेश नही किया। आराजी मुतजनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भी पेश कर सकते है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन न्यायोचित है।

उक्तानुसार ग्राम ढाल के हाल खाता संख्या 188/184 किता 6 रकबा 1.19 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व अन्य सह खातेदार के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:31 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गोपाल अनाम छोटी

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 83/2023
पेश करने की दिनांक – 26.05.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक अभिषेक जैन मुद्दई प्रतिवादी स्वयं व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम ढाल के हाल खाता संख्या 188/184 किता 6 रकबा 1.19 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व अन्य सह खातेदार के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह 8 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मि

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद